संख्या– 16/2021/2342/छप्पन-2020-68/2017

प्रेषक,

सुरेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 11 फरवरी, 2021

विषय: रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत संचालित वायु सेवा के लिए वायबिलिटी गैप फण्डिंग (वी0जी0एफ0) के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 406/आर०सी०एस०-2020-वी-1/2018 दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत निम्नलिखित सारणी अनुसार वायु सेवा के संचालन के लिए एम0ओ0यू0 के प्रविधानों के अनुरूप वी0जी0एफ0 क्लेम सं0- 25 के अन्तर्गत रु0 1,35,76,396/- के सापेक्ष 20 प्रतिशत वी०जी०एफ़० (राज्यांश) रु0 27,15,279/- (रूपए सत्ताईस लाख पन्द्रह हजार दो सौ उनासी मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है:-

आर0सी0एस0 रूट	**अवधि/माह**	**एयरलाइन्स का नाम**	**20 प्रतिशत राज्यांश (रूपए)**
जयपुर-आगरा-जयपुर	जुलाई, 2020	एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लि0	27,15,279/-
गोरखपुर-प्रयागराज-गोरखपुर	जुलाई, 2020	इण्टरग्लोब एविएशन लि0	
जयपुर-आगरा-जयपुर	अगस्त, 2020	एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लि0	
गोरखपुर-प्रयागराज-गोरखपुर	अगस्त, 2020	इण्टरग्लोब एविएशन लि0	

2- भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को भारत सरकार, राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य निष्पादित एम0ओ0यू0 के प्रस्तर- 4.2.2(e) के प्राविधान के अनुसार आर0सी0एस0 स्कीम के अन्तर्गत वायबिलिटी गैप फण्डिंग (वी0जी0एफ0) के 20% अंश का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लि0 एवं इण्टरग्लोब एविएशन लि0 द्वारा उक्त सारणी अनुसार रूट तथा अवधि के लिए वायु सेवा के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संचालन हेतु एम0ओ0यू0 के प्रविधानों के अनुरूप वी0जी0एफ0 क्लेम रूप रु0 1,35,76,396/- के सापेक्ष 20 प्रतिशत वी०जी०एफ़० (राज्यांश) रु0 27,15,279/- (रूपए सत्ताईस लाख पन्द्रह हजार दो सौ उनासी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जानी है। उक्त धनराशि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम हेतु कार्यान्वयन संस्था भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा गठित रीजनल एयर कनेक्टिविटी फण्ड ट्रस्ट के माध्यम से सम्बन्धित एयरलाइन कम्पनी को भुगतान की जानी है।

3- अत: श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में उक्त आर0सी0एस0 वायु सेवा हेतु एम0ओ0यू0 के प्राविधानों के अनुरूप 20% वी0जी0एफ0 (राज्यांश) के भुगतान हेतु रु0 27,15,279/- (रूपए सत्ताईस लाख पन्द्रह हजार दो सौ उनासी मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रु0 27,15,279/- (रूपए सत्ताईस लाख पन्द्रह हजार दो सौ उनासी मात्र) अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

I. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
II. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय से संबंधित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/ प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
III. धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा |
IV. स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं दिनांक 18 मई, 2020 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
V. आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
VI. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
VII. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं हैं तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखा-लेखाशीर्षक "3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएँ-800-अन्य व्यय-02-रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत वायबिलिटी गैप फण्डिंग -42-अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0- ई-7- 240/दस-2021 दिनांक 10 फरवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पृ0सं0: 16/2021/2342(1)/छप्पन-2020-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. उप महालेखाकार ई0एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
5. महाप्रबन्धक (एफ0 एण्ड ए0)-आर0सी0एस0, रीजनल एयर कनेक्टिविटी फण्ड ट्रस्ट, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003.
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।